# नपा बैठक में बवाल, सीएमओ गायब

**नवभारत न्यूज**
**शिवपुरी 05 मई।** नगर पालिका परिषद की सामान्य बैठक मंगलवार को नारी सशक्तिकरण जैसे अहम एजेंडे के साथ शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में यह बैठक शहर के गहराते जल संकट और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। हालात इतने बिगड़े कि बैठक हंगामे में बदल गई और पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका प्रशासन पर सीधा हमला बोल दिया। स्थिति उस वक्त और विस्फोटक हो गई, जब नगर पालिका के सीएमओ इशांक धाकड़ बैठक से नदारद रहे। उनकी गैरहाजिरी को लेकर पार्षदों ने इसे जिम्मेदारी से भागना बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। बैठक कक्ष में तीखी बहस, आरोप-प्रत्यारोप और विरोध के बीच माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया।

**भ्रष्टाचार के आरोपों ने पकड़ा तूल:** बैठक के दौरान पार्षद राम सिंह यादव ने बड़ा कदम उठाते

## भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पार्षदों का अल्टीमेटम

हुए पीआईसी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नगर पालिका में संगठित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी खुलेआम रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, जबकि आम जनता बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रही है। यादव ने साफ चेतावनी दी कि हालात नहीं सुधरे तो वे पार्षद पद भी छोड़ सकते हैं। वहीं पार्षद मट्ठू खटीक ने भी दो टूक कहा कि अगर आठ दिन में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो वे भी इस्तीफा दे देंगे। यह बयान बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों के लिए भी चेतावनी जैसा रहा।

अधूरे वादे, बढ़ता आक्रोश

पार्षदों ने जल विभाग के ईई सचिन चौहान को भी घेरा। आरोप है कि उन्होंने तीन दिन में जल संकट खत्म करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी हालात जस के तस हैं। इस पर पार्षदों का गुस्सा और भड़क गया।

**नपाध्यक्ष का बड़ा आरोप जानबूझकर पैदा किया संकट:** नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में जल संकट सिस्टम की लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित खेल है। उनके मुताबिक सिंध जलावर्धन योजना के तहत मोटर खरीद के टेंडर को बिना सूचना रद्द करना संदेह पैदा करता है और इससे दलालों की भूमिका सामने आती है।

**प्रस्ताव पास, लेकिन सवाल बरकरार:** हंगामे और विरोध के बीच आखिरकार नारी सशक्तिकरण से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया, लेकिन बैठक कई गंभीर सवाल छोड़ गई, क्या शहर का जल संकट प्रशासनिक नाकामी है या अंदरूनी खेल? नपाध्यक्ष ने तीन दिन के भीतर जल संकट पर विशेष बैठक बुलाने की घोषणा की है। ऐसे में सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार समाधान निकलेगा या फिर एक और हंगामा शहर की किस्मत में है।

## अपर आयुक्त ने सुनी आमजन की समस्यायें, दिए निराकरण के निर्देश

**ग्वालियर।** आमजनों की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम ग्वालियर में अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर ने आमजनों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सिटी सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में वार्ड 09 काशी नरेश की गली निवासी श्री अजय सिंह ने बिजली घर पावर हाउस के सामने लधेडी के पास स्थित नाले की सफाई कराये जाने के संबंध में, वार्ड 43 सराफा बाजार निवासी श्री उमेश वर्मा ने आवेदन देते हुए बताया कि सराफा बाजार में अवैध निर्माण किया जा रहा है, आवेदक ने उचित कार्यवाही के संबंध में, वार्ड 60 सारिका नगर थाटीपुर निवासी श्री पंकज सचान ने पार्क में हाई मास्क एवं अन्य कार्य कराये जाने के संबंध सहित अन्य आवेदनों पर सुनवाई करी।

# स्वच्छता अभियान तेज, नियम तोड़ने पर चालानी कार्रवाई

**नवभारत न्यूज**
**शिवपुरी 5 मई।** शहर में बढ़ती गंदगी और अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश हैं कि शहर में स्वच्छता दिखनी चाहिए। निर्देशानुसार नगर पालिका सीएमओ इशांक धाकड़ के नेतृत्व में मंगलवार को प्रात: 7 बजे से घोड़ा चौराहा से पोहरी बस स्टैंड तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन जब्त की गई। जिन दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के सामने गंदगी फैलाई जा रही थी, उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे कचरा डस्टबिन में डालें एवं नगर पालिका की सुबह-शाम चलने वाली कचरा गाड़ियों में ही निस्तारित करें। नगर पालिका टीम ने जूस सेंटर, चाय स्टॉल, पान दुकानों एवं होटल संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने और कचरा पात्र अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए। साथ ही पैदल मार्च निकालकर आमजन एवं व्यापारियों को जागरूक किया गया। सड़क पर अव्यवस्था फैलाने वाले ठेला चालकों को भी निर्देशित किया गया कि वे मुख्य मार्ग पर ठेले न लगाएं और निर्धारित स्थान पर ही संचालन करें। अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। एक गन्ना जूस सेंटर पर गंदगी पाए जाने पर 100 रूपए तथा एक फल विक्रेता के यहां डस्टबिन न होने पर 250 रूपए का चालान किया गया। साथ ही प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग न करने की सख्त समझाइश दी गई। नगर पालिका द्वारा पूर्व में चिन्हित मार्गों का पुन: निरीक्षण (फॉलोअप) भी किया गया, जिसमें कुछ स्थानों पर सुधार पाया गया, जबकि अन्य स्थानों पर पुन: चेतावनी देकर सुधार के निर्देश दिए गए। सभी व्यापारियों, दुकानदारों एवं जूस सेंटर संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे कचरा केवल नगर पालिका की कचरा गाड़ियों में ही डालें। डस्टबिन का उपयोग न करने, प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग करने या सड़क किनारे गंदगी फैलाने पर सख्त एवं भारी चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिवपुरी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

# हाईकोर्ट अवमानना मामले में सीएमएचओ निलंबित

**नवभारत न्यूज**
**शिवपुरी 5 मई।** स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और न्यायालयीन आदेशों की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ में लंबित अवमानना प्रकरण में समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण की गई है।

दरअसल, रिट याचिका क्रमांक 7460/2010 रामप्रताप सिंह भदौरिया एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 3 जनवरी 2018 का लंबे समय तक पालन नहीं हो सका। इसके चलते अवमानना याचिका क्रमांक 1842/2018 दायर की गई। इस प्रकरण में विभाग की ओर से शिवपुरी सीएमएचओ को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी न्यायालय में समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को स्पष्ट निर्देश देते हुए 20 अप्रैल 2026 तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर संबंधित अनावेदक के खिलाफ आरोप तय कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद 20 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, जिससे न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर भी यदि अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ, तो संबंधित पक्षकार/अनावेदक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा और उनके विरुद्ध आरोप तय कर कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

विभागीय जांच में पाया गया कि संपर्क अधिकारी होने के बावजूद डॉ. ऋषिश्वर ने समय पर समुचित कार्रवाई नहीं की। इससे प्रकरण में अनावश्यक विलंब हुआ और शासन की छवि भी प्रभावित हुई। इसे कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन की श्रेणी में कदाचार माना गया। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत डॉ. संजय ऋषीश्वर को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर संभाग निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

## कन्वेंशन सेंटर निर्माण की धीमी गति पर कार्यपालन को चेतावनी पत्र एवं उपयंत्री को नोटिस जारी

**ग्वालियर।** कन्वेंशन सेंटर की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अभी तक उसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर में अभी तक फॉल सीलिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके चलते नगर निगम ने कार्य में उदासीनता बरतने वाले कार्यपालन यंत्री श्री पवन सिंघल को चेतावनी पत्र एवं उपयंत्री श्री अभिषेक प्रसाद को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

कन्वेंशन सेंटर का नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने विगत दिनों निरीक्षण किया था, निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि फॉल सीलिंग का कार्य बहुत धीमा चल रहा है, जी-3 की बन रहे इस कन्वेंशन सेंटर में अभी तक किसी भी कमरे में फॉल सीलिंग पूर्ण नहीं हुई है। कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर कार्यपालन यंत्री श्री पवन सिंघल को चेतावनी पत्र एवं उपयंत्री श्री अभिषेक प्रसाद को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

# सभी परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें : कलेक्टर

**नवभारत न्यूज**
**शिवपुरी 5 मई।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी परियोजना अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिला पोषण समिति की बैठक में समीक्षा करते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सभी सीडीपीओ को स्पष्ट कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन समय पर खुलना चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र में जो गतिविधियां समय-समय पर होनी है वह संचालित होनी चाहिए। सभी परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर निगरानी करें। यदि कहीं आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए जाते हैं तो संबंधित पर कार्यवाही करें। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषण आहार पर भी निगरानी रखी जाए। यदि किसी समूह द्वारा पोषण आहार वितरण में लापरवाही की जाती है तो संबंधित समूह को हटाने के लिए कार्रवाई करें। बच्चों को गुणवत्ता युक्त खाना मिलना चाहिए। यदि परियोजना अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाएगी तो कार्यवाही होगी इसलिए परियोजना अधिकारी अपने काम के प्रति अलर्ट मोड पर आ जाएं और एक सप्ताह में उनके काम में प्रगति आना चाहिए।

### एनआरसी में बच्चों को भर्ती कराने के निर्देश

जिले में 100 बिस्तर का एनआरसी है जिसमें अति गंभीर कुपोषित बच्चों को रखा जाता है ताकि बेहतर देखभाल और उपचार के साथ उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र जादौन से बच्चों की जानकारी लेते हुए एन आर सी के बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत अति गंभीर कुपोषित बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई।

इसके अलावा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई जिसमें हितग्राही पोषण ट्रैक्टर में पंजीकृत गर्भवती महिलाएं जिनके आधार सत्यापन, आभा आईडी की समीक्षा हुई। इसमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, शाला पूर्व शिक्षा हेतु पंजीयन, अपार आईडी, समग्र सत्यापन, टी एच आर वितरण, बच्चों को आंगनबाड़ी केदो में नाश्ता एवं गर्म पके भोजन प्रदाय की स्थिति आदि की समीक्षा की गई। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने समीक्षा के दौरान कहा है कि जिन भी मानकों में विभाग द्वारा बेहतर काम नहीं किया जा रहा है उसमें सुधार लाएं अन्यथा सीडीपीओ पर कार्यवाही होगी। अपनी-अपनी परियोजना में सीडीपीओ जिम्मेदार अधिकारी हैं।

# डिवाइडर व गुणवत्ता जांच की मांग को लेकर शहरवासी हुए लामबंद

**नवभारत न्यूज**
**पिछोर 5 मई।** नगर के मध्य से गुजर रही एनएच-346 सड़क का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इसके साथ ही शहरवासियों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने मुख्य मार्ग पर डिवाइडर निर्माण और सड़क की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

नगरवासियों का कहना है कि शहर में बढ़ते यातायात और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए बाचरौन चौराहा से पुराना चुंगी नाका तक डिवाइडर बनाया जाना आवश्यक है। वर्तमान में बनाई जा रही सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण डिवाइडर निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार दिनारा से चंदेरी तक लगभग 55 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण करीब 310 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई सीमित रखी गई है तथा दोनों ओर फुटपाथ और नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है। इधर, नागरिकों ने नाली निर्माण को लेकर भी आपत्ति जताई है कि पहले से मौजूद नालियों के बावजूद नई नालियां बनाई जा रही हैं, जिससे सड़क का चौड़ीकरण प्रभावित हो रहा है और अनावश्यक खर्च भी।

साथ ही सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। लोगों का आरोप है कि पुरानी डामर परत हटाए बिना ही नई सड़क डाली जा रही है और उचित कम्पैक्शन (तलाई) भी नहीं किया जा रही, जिससे भविष्य में सड़क की मजबूती पर असर पड़ सकता है। नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि सड़क संकरी होने के कारण डिवाइडर बनना संभव नहीं है, सड़क निर्माण के संबंध में किसी ने विभागीय सूचना भी नहीं दी। शहरवासियों की मांग है कि प्रशासन इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सड़क निर्माण कार्य की जांच कराए और यातायात सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए।

# आंगनवाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण, स्टाफ अनुपस्थित मिलने पर होगी कार्रवाई

**नवभारत न्यूज**
**शिवपुरी 5 मई।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों का व्यापक स्तर पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का बेहतर एवं समय पर लाभ सुनिश्चित करना रहा।

इसी क्रम में परियोजना अधिकारी करैरा एस. शेखरन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र वार्ड क्रमांक 04

द्वितीय, वार्ड 03 तृतीय एवं चिन्नोद द्वितीय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं परियोजना अधिकारी नरवर रविरमन पाराशर द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र नानकपुर, टुकी एवं गोपलिया का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार परियोजना अधिकारी अमित यादव एवं सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती जयदेवी रावत द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र सिंहनिवास-01, सिंहनिवास-02 एवं सिंहनिवास-03 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सिंहनिवास-01 केन्द्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगीत शर्मा एवं सहायिका माहेश्वरी ओझा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाई गईं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिंहनिवास-02 एवं 03 पर कार्यकर्ता उपस्थित मिलीं और पोषण ट्रैकर पर प्रविष्टियां करते हुए तथा अभिलेख संधारण का कार्य करते हुए पाई गईं। निरीक्षण के दौरान सभी परियोजना अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को निर्देशित किया गया कि वे नियमानुसार एवं निर्धारित समय के अनुसार केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित करें तथा विभागीय योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाएं। साथ ही सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया।

# अगली बैठक में दिखना चाहिए रिजल्ट : कलेक्टर

**नवभारत न्यूज**
**शिवपुरी 5 मई।** जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और सूचकांकों में तेजी लाने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सख्त तेवर अपनाए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अब सिर्फ समीक्षा नहीं, परिणाम चाहिए। आगामी बैठक में बेहतर आंकड़े नहीं मिलने पर जिम्मेदारी तय करने के संकेत भी दिए।

बैठक में स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग के जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम हेल्पलाइन, एएनसी-पीएनसी सेवाएं, मातृ-शिशु मृत्यु दर, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान व प्रबंधन, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष्मान कार्ड, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम सहित कई योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे और आंकड़ों में सुधार साफ दिखे। उन्होंने विशेष रूप से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग, एसएनसीयू सेवाओं की मजबूती और होम डिलीवरी पर रोक लगाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

## प्रशासनिक कसावट के सख्त निर्देश

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने, डीबीटी भुगतान में आ रही तकनीकी दिक्कतों को तत्काल दूर करने और समग्र आईडी संबंधी समस्याओं को तेजी से हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को भटकना न पड़े, इसके लिए अधिकारी खुद पहल करें।

## मैदानी अमले को स्पष्ट चेतावनी

108 एंबुलेंस के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने कहा कि सवारी ढोने में उपयोग मिलने पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं अस्पतालों में आने वाले हर मरीज की जांच सुनिश्चित करने, जरूरतमंदों को चश्मा वितरण और गर्मी को देखते हुए ओआरएस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

## टीकाकरण और दस्तक अभियान पर फोकस

एचपीवी टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान और आगामी दस्तक अभियान की तैयारियों को लेकर भी कलेक्टर ने स्पष्ट लक्ष्य तय किए। उन्होंने कहा कि शिवपुरी को प्रदेश में पहला स्थान दिलाने के लिए सभी विभाग समन्वय से काम करें।

# मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित

**नवभारत न्यूज**
**ग्वालियर 05 मई।** मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर डॉ.शोभा सतीश सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर विकास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई।

बाल भवन स्थित टीएलसी में आयोजित बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य श्री अवधेश कौरव, श्री नाथूराम ठेकेदार, श्रीमती गायत्री सुधीर मंडेलिया, श्रीमती प्रेमलता धर्मेन्द्र जैन, श्रीमती संध्या सोनू कुशवाह, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, प्रदीप तोमर, मुनीष सिंह सिकरवार सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में ऑपरेशन एण्ड मैंटेनेंस ऑफ गैंट्री पैकेज 01,जी1, एण्ड 02 जी2 डिटेल्स इन आरएफपी अगेंस्ट एडवरटाइजमेंट राइट्स फॉर अ लाइसेंस पीरियड ऑफ 10 वर्ष मुंसिपल कॉर्पोरेशन ग्वालियर की तृतीय कॉल निविदा में प्राप्त निविदाकार का प्रस्ताव स्वीकृति के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत उक्त प्रस्ताव से अवगत कराया गया।

इसके साथ ही नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय एवं विभागों में आउटसोर्स पर अकुशल सफाई श्रमिक पूर्व से स्वीकृत संख्या 1379 तथा नवीन 321 अकुशल सफाई श्रमिकों को शामिल कर कुल 1700 सफाई श्रमिक उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन निविदा आमंत्रित किये जाने व उस पर आने वाले व्यय की वित्तीय स्वीकृति व अन्य स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव से अवगत कराया गया।

साथ ही छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों की देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर, वार्ड क्रमांक 64 में सी.एस.आर. मद के तहत सार्वजनिक शौचालय निर्माण, संचालन एवं संधारण कार्य की स्वीकृति बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत स्वीकृत किया गया।

बैठक में मांडरे की माता स्थित पगोडा रेस्टोरेन्ट को निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत 10 वर्ष के लिये मासिक लाइसेंस शुल्क पर आबंटन की स्वीकृति बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त मॉनिट 'ए' प्लस सम्बन्धी मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजनान्तर्गत 15 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 453.31 लाख की वित्तीय स्वीकृति बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत स्वीकृत किया गया।

# साथी पर जानलेवा हमले के विरोध में तहसील पहुंचे कोटवार, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

**नवभारत न्यूज**
**विजयपुर 5 मई।** जनगणना कार्य के दौरान कोटवार पर हुए कथित जानलेवा हमले को लेकर विजयपुर तहसील में मंगलवार को जमकर आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में कोटवार एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम अभिषेक मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम देवरी के कोटवार मातादीन शाक्य 3 मई 2026 को दोपहर करीब 1 बजे पटवारी रोहित तोमर एवं जनगणना प्रगणक गजेंद्र यादव के साथ जनगणना कार्य कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से उन पर हमला बोल दिया। आरोप है कि लाठी-कुल्हाड़ियों से किए गए हमले में मातादीन गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके दोनों पैरों में गंभीर चोट आई। कोटवार संघ ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि हमले के पीछे गांव के ही कुछ लोगों का हाथ है और प्रशासन अब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया है। संघ ने मांग की है कि आरोपियों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया जाए और पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिलेभर के कोटवार जनगणना कार्य सहित अन्य शासकीय कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान कोटवारों में भारी आक्रोश नजर आया। उन्होंने प्रशासन से साफ कहा कि यदि उनके साथी को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।